

2025/626

निर्णय

फर्द अहकाम
(नियम 15)

19.08.2025

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
आदराम बनाम तुलछाराम आदि
वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 442 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
04.08.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजि स्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 08.08.2025 को पेश हो।	
08/08/2025	वकूलार फाटिबेन उपस्थित। प्रतिवादी सं. 1 वा 4 में जलिये वकील श्री सुनीव डेब्डू उपस्थित। साक्षर जवाब दत्ता पेश किया। पत्रावली वाले जवाब स्टेट दाखिल कर 12/08/2025 को पेश हो।	
12.08.2025	वकूलार अहकाम न्यायालय/PU मूड 2 धरणी में पत्रावली उपस्थित। जज स्टेट दाखिल कर 19.08.2025 को पेश हो।	
19.08.2025	वकूलार फाटिबेन उपस्थित। अस्टे जजमय साक्षर उका। 9 दल सुनी गरी। पत्रावली का आवले कत किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध बिकारि डारि व नदी पत्रावली की सहमति से साक्षर पत्र वाद की डिक्ली किया जा रहा है। पूर्व विकरण सहित निर्णय अलग से लिखना जाकर शाठिल फाटिल किया जाके पत्रावली नम्बर के कम की जाकर वाद तबली व तकाशील जाकर दाखिल इफ्तार हो।	



सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर